निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 31/2017 (रसद अपील)

मैसर्स हरिकिशन मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा, प्राधिकार धारक, उचित मूल्य दुकान राजाधोक, ग्राम पंचायत झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।
2. जिला रसद अधिकारी, सतर्कता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 04.08.2017 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 45/2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 04.08.2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स हरिकिशन मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा, प्राधिकार धारक, उचित मूल्य दुकान राजाधोक, ग्राम पंचायत झर, तहसील बस्सी, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 196/2012 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्तो तथा निर्बन्धनों एवं राज्य एवं केन्द्र सरकार के आदेशों व सक्षम

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ जो उसे राज्य सरकार से प्राप्त होते है, का विक्रय व वितरण यूनिट रजिस्टर तथा ई–सूची में दर्ज राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को डिजीटल राशनकार्ड या आधार कार्डो पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से अपीलार्थी को जारी एक कारण बताओं नोटिस क्रमांक 53/95 दिनांक 25.04.2017 को प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध पोस ट्रान्जेक्शन एवं उपभोक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत कार्डो की जांच से 18 लीटर केरोसीन व 15 किलोग्राम गेहूँ का दुरूपयोग करना एवं दुकान वक्त जांच बंद मिलने की अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी के समक्ष दिनांक 04.08.2017 को नोटिस का प्रत्युत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रार्थी प्रत्येक उपभोक्ता को पी.ओ.एस. मशीन द्वारा आधार कार्ड के नम्बर से हस्तरेखा का सत्यापन होने के बाद ही राशन सामग्री वितरण करता है तथा पी.ओ.एस. मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन होने के बाद उपभोक्ता को मिलने वाली राशन सामग्री व मशीन द्वारा निकाली गई पंर्ची उपभोक्ता को दी जाती है तथा उपभोक्ता के मोबाईल पर राशन सामग्री संबंधी मैसेज जाता है। इस कारण आम धारणा हो गई थी कि जब हस्तरेखा सत्यापन द्वारा सामग्री मिल रही है। तो राशनकार्ड की क्या आवश्यकता है। इसलिए राशनकार्ड में कई बार राशन सामग्री का इन्द्राज नहीं लाने के कारण नहीं हो पाती है, इस क्रम में जांच दल को उपभोक्ताओं ने मेरी इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं की है, एवं दुकान बंद होने का कारण उक्त तारीख को मेरे ससुर जी का देहान्त हो गया था, जिसके कारण दाह संस्कार में शामिल होने चला गया था। उक्त नोटिस में जो अनियमितता बताई गयी है वह गलत है। इस संबंध में सम्बन्धित उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री प्राप्त करना स्वीकार करते हुये शपथ पत्र पेश किया है। अपीलार्थी ने अपने जवाब के समर्थन में राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किये थे। जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब व शपथ पत्रों के सम्बन्ध में निर्णय में यह टिप्पणी की कि डीलर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रायोजित लगते है। उक्त टिप्पणी लिखकर जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी को दिये गये कारण बताओ नोटिस में बतलाई गई अनियमितताओं व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस को अपने ढंग से लिखकर और उपरोक्त टिप्पणी लिखकर जिला रसद अधिकारी ने दिनांक 04.08.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2017 पूर्ण रूप से अवैध, मनमाना, असंगत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा नोटिस में ना तो उन राशनकार्ड धारकों का नाम व नम्बर है जिन्होने आधार कार्ड पर तो केरोसीन एवं गेहूँ प्राप्त किया ओर उन उपभोक्ताओं ने जिन्होने अपने राशन कार्डो में इन्द्राज नही कराया, उन राशनकार्ड धारकों के नाम भी नही बताये गये। इसके अतिरिक्त ना तो राशनकार्ड जब्त किये और नाही राशनकार्ड धारकों के कथन आदि जांचकर्ता द्वारा लिये गये। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो कोई जांच की, ना साक्ष्य ली, ना कोई सुनवाई की ओर ना यह कनि किया कि, वह अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व शपथ पत्रों को प्रायोजित क्यों समझते है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आरोप सिद्ध ना होते हुये भी आलोच्य आदेश पारित करने से उनकी बदनियती स्पष्टतः जाहिर होती है। अपीलार्थी जो कारण बताओं नोटिस भेजा उसमें ना तो यह विवेचन किया कि अपीलार्थी ने प्राधिकार पत्र की किस शर्त का उल्लघंन किया है। मात्र 18 लीटर केरोसीन तेल व 15 किलोग्राम गेहूँ जो कि उपभोकताओं

जिला कलक्टर
जयपुर

ने आधार कार्डो पर प्राप्त कर लिये और वह या तो भीड़ के कारण या राशनकार्ड नहीं लाने के कारण अपने राशनकार्डो में इन्द्राज नही करा सकें, लेकिन उनके द्वारा उक्त सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया गया तो निरीक्षणकर्ता ने उक्त माल का मिलान मशीन में व मशीन से प्राप्त रसीद एवं स्टॉक से जांच कर ली। इसलिए अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त केरोसीन तेल व गेहूँ के दुरूपयोग का आरोप पूर्णरूप से आधारहीन है। प्रत्यर्थी संख्या 2 ने पोस मशीन से आधार कार्डो पर जो केरोसीन तेल व गेहूँ का वितरण राशनकार्ड धारी उपभोक्ताओं को हुआ और जिनके संबंध में केरोसीन तेल व गेहूँ का आरोप है, उसकी पोस मशीन से निकाले गये विवरण/पर्चियों की प्रति ना तो अपीलार्थी को दी गयी और ना ही उसकी सत्यता की जांच ही की। अपीलार्थी पर यह आरोप नहीं है कि आधार कार्डो पर केरोसीन व चीनी का वितरण नहीं किया गया। केवल उपभोक्ताओं के राशनकार्डो में इन्द्राज नहीं हाने का आरोप है, जबकि बोगस व डुप्लीकेट राशनकार्ड प्रचलित है और अपीलार्थी के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं है। किसी भी तथ्य की जांच किये बिना जिला रसद अधिकारी ने मनमाना आलोच्य आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलार्थी ने अन्य उपभोक्ताओं के अतिरिक्त लक्ष्मण सिंह व हनुमान सिंह के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, जिन्होने राशन सामग्री प्राप्त करना स्वीकार किया है तथा अपीलार्थी ने अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट किया है कि निरीक्षण के दिन उसके ससुर का देहान्त होने से दुकान मजबूरन बंद रही। जिला रसद अधिकारी द्वितीय ने दिनांक 04.08.2017 को जवाब प्रस्तुत करते ही अपना निर्णय पारित कर दिया। मामले में कोई जांच नहीं की तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये। इसलिए शपथ पत्रों पर किये गये कथनों पर अविश्वास करने का कोई आधार नही है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व जांच की कार्यवाही, उपभोक्ताओं के कथन जिनके आधार पर अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया की प्रतियां अपीलार्थी को नहीं दी गई, जिससे अपीलार्थी ना तो प्रत्युत्तर नोटिस ही सुमचित रूप से दे सका और ना ही मामले में अपनी प्रतिरक्षा कर सका। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने द्वेषता की भावना से ग्रसित होकर विदाउट ऐनी रिजनेबल व प्रोबेबल कॉज अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय का आपेक्षित निर्णय व आदेश दिनांक 04.08.2017 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे तथा प्राधिकार पत्र पर कार्यवाही करने की स्वीकृति फरमावें

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान बन्द मिली है और पोस ट्रान्जेक्शन एवं उपभोक्तओं के द्वारा प्रस्तुत राशनकार्डो की जांच से 18 लीटर केरोसीन एवं 15 किलोग्राम गेहूं कर दुरूपयोग करना पाया गया है। अपीलार्थी ने कम पाये गये केरोसीनं व गेहूं बाबत जबाब में कोई उल्लेख नहीं किया बल्कि उपभोक्ताओं के शपथ पत्र इस आशय के पेश किये है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार से सामग्री प्राप्त करने में उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं है। प्रस्तुत शपथ पत्रों पर दिनांक भी अंकित नहीं है । इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा जबाब व शपथ पत्रों को प्रयोजित माना है। इस प्रकार अपीलार्थी डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

साथ ही सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिससे अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी पर आरोप है कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान बन्द मिली है इस आरोप को स्वीकार करते हुये इसका करण अपीलार्थी ने अपने ससुर का देहान्त होना बताया है। अपीलार्थी के इस तर्क से हम सन्तुष्ट है, किन्तु जांच में 18 लीटर केरोसीन एवं 15 किलोग्राम गेहूं का दुरूपयोग करना भी पाया गया है। अपीलार्थी ने कम पाये गये केरोसीन व गेहूं के आरोप बाबत कोई खण्डन नहीं किया, बल्कि उपभोक्ताओं के शपथ पत्र इस आशय के पेश किये है कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार से सामग्री प्राप्त करने में उपभोक्ताओं को कोई शिकायत नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का स्टॉक में कम पाये गये केरोसीन व गेहूं की मात्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रस्तुत शपथ पत्रों पर दिनांक भी अंकित नहीं है। इसलिए जिला रसद अधिकारी द्वारा जबाब व शपथ पत्रों को प्रयोजित माना है जो सही है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

8. निर्णय आज दिनांक 01.08.2022 को सरे इजलास सुना गया ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(प्रकाश राजपुरोहित)
ज़िला कलक्टर
ज़यपुर